(42)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक निग. 3179/पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 30.07.2015 पारित द्वारा आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद प्रकरण क्रमांक 227/अपील/2011-12.

---

1. मनोज कुमार आ. ललित किशोर
2. सुदामाबाई बेवा ललित किशोर

दोनों निवासी ग्राम भट्टी तह. इटारसी,
जिला होशंगाबाद .....आवेदकगण

विरूद्ध

दिनेश कुमार वर्मा आ. गयाप्रसाद वर्मा
निवासी ग्राम भट्टी तह. इटारसी
जिला होशंगाबाद .....अनावेदक

श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री धर्मेंद्र चतुर्वेदी, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/11/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित दिनांक 30.07.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम लौधडीखुर्द तहसील इटारसी की भूमि खसरा नंबर 105, 106/1, 107/1, 141, 143, 145, 238/1, 238/2, 240, 244, 245, 246, 247 कुल रकबा 6.038 हैक्टेयर भूमि पर संशोधन पंजी क्रमांक 22 पारित आदेश दिनांक 30.06.2009 के अनुसार विरासत हक में सुदामाबाई बेवा ललित किशोर एवं पुत्र मनोज कुमार वल्द ललित किशोर का नाम दर्ज किया गया, जिसके विरूद्ध अनावेदक दिनेश कुमार वर्मा आ. गया प्रसाद वर्मा द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, इटारसी के समक्ष प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें जांचोपरांत प्रकरण क्रमांक 27/अ-6/10-11 दर्ज कर पारित आदेश दिनांक 31.07.2012 के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नामांतरण पंजी पर पारित आदेश दिनांक 30.06.2009 निरस्त किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा द्वितीय अपील आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद के समक्ष प्रस्तुत की गई। आयुक्त द्वारा दिनांक 30.07.2015 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई। आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) आयुक्त ने उक्त आदेश पारित करते हुये न्याय के सिद्धांतों पर विचार न करते हुए केवल व्यवहार न्यायालय की डिक्री के आधार पर आदेश पारित करने में भूल की है, इसलिए उक्त आदेश दिनांक 30.07.2015 अपास्त किये जाने योग्य है।

(2) आयुक्त को यह देखना था कि व्यवहार न्यायालय की डिक्री में प्रश्नाधीन संपत्ति से भिन्न संपत्ति पर व्यवहार न्यायालय की डिक्री बंधनकारी नहीं है, इस तथ्य पर ध्यान न देकर व्यवहार न्यायालय की डिक्री से परे अन्य संपत्तियों पर भी केवल व्यवहार न्यायालय की डिक्री के आधार पर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा किये गये दोषपूर्ण नामांतरण की पुष्टि में द्वितीय अपीलीय न्यायालय ने तथ्य एवं विधि की स्पष्ट भूल की है, इसिलए उक्त आदेश दिनांक 30.07.2015 अपास्त किये जाने योग्य है।

(3) आयुक्त ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया है कि अधीनस्थ न्यायालयों ने नामांतरण नियम 17 को समझने में भूल की है, इसलिए उक्त आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

(4) दोनों अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों ने रेसज्यूडीकेटा के सिद्धांतों को समझे बगैर आदेश पारित करने में भूल की है, यदि प्रथम अपीलीय न्यायालय का आदेश दिनांक 31.07.2012 के अवलोकन से ही स्पष्ट है कि राजस्व प्रकरण एवं व्यवहार प्रकरण की संपत्तियों में से कुछ में समानता है, इसलिए रेसज्यूडीकेटा का सिद्धांत लागू होना चाहिए, किंतु इस ओर ध्यान न देकर अधीनस्थ न्यायालयों ने भूल की है, इसलिए उक्त आदेश दिनांक 30.07.2015 निरस्त किये जाने योग्य है।

(5) अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों ने किसी भी न्यायालय के समक्ष कोई भी असल दस्तावेज पेश हुए बगैर और उन्हें बुलाये बगैर एवं इन आवेदकगण की ओर से पेश लिखित तर्कों पर ध्यान दिये बगैर तथा समर्थन के शपथ पत्र पेश न होने के तथ्यों पर ध्यान दिये बगैर आदेश पारित करने में भूल की है, इसलिए उक्त आदेश दिनांक 30.07.2015 निरस्त किये जाने योग्य है।

(6) प्रथम अपीलीय न्यायलाय ने धारा 5 समयावधि विधान के आवेदन पत्र को स्वीकार करते हुए अपील का निराकरण करने में भूल की है, प्रथम अपीलीय न्यायालय को देखना था कि दिनांक 23.02.2011 को आवेदकगण अर्थात् इस याचिका के अनावेदकगण को आदेश दिनांक 30.06.2009 की जानकारी होने का कोई समाधान कारक तथ्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं था तथा दर्शित खसरा भी कभी अभिलेख पर पेश नहीं किया गया, इस तरह प्रथम अपीलीय न्यायालय ने समयावधि बाधित अपील स्वीकार करने में भूल की थी, इस संबंध में द्वितीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष रखे गये तथ्यों और तर्कों पर ध्यान दिये बगैर एवं उन पर निष्कर्ष निकाले बगैर द्वितीय अपीलीय न्यायालय ने आदेश दिनांक 30.07.2015 पारित करने में भूल की है, इसलिए उक्त आदेश दिनांक 30.07.2015 निरस्त किये जाने योग्य है।

(7) द्वितीय अपीलीय न्यायालय ने इस ओर भी ध्यान नहीं दिया है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उनके समक्ष पेश अपील ज्ञाप में वर्णित तथाकथित नामांतरण आदेश दिनांक 17.02.1992 को अभिलेख पर न होते हुए भी इस संबंध में कोई संज्ञान लिये बगैर आदेश पारित किया है, इस तरह इस ओर ध्यान न देकर द्वितीय अपीलीय न्यायालय ने आदेश दिनांक 30.07.2015 तथ्य एवं विधि के विपरीत पेश किया है, जो कि अपास्त किये जाने योग्य है।

(8) अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रकरण में जो लोग पक्षकार नहीं थे, उन्हें भी अनुतोष प्रदान किया है, इस तरह तथ्य एवं विधि के विपरीत पारित उक्त आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

(9) अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों ने उभय पक्षों की ओर से पेश लिखित तर्कों पर ध्यान दिये बगैर एवं उनका उल्लेख किये बगैर आदेश पारित करने में भूल की है, इसलिए उक्त आदेश दिनांक 30.07.2015 अपास्त किये जाने योग्य है।

अत: उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करते हुए संशोधन पंजी क्रमांक 22 पारित आदेश दिनांक 30.06.2009 यथावत रखने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जो कि स्थिर रखे जाने योग्य है। तर्क में यह भी कहा गया कि दोनों अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। अत: उनके द्वारा निगरानी निरस्त कर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा सिविल न्यायालय के के निर्णयों के अनुरूप ही आदेश पारित किये गये हैं अत: अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप किये जाने का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । इस संबंध में 2005 आरएन 178 अमरीबाई विरूद्ध मांगीलाल में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है -

धारा 50 - निचले दो न्यायालयों के समरूप निष्कर्ष - पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता ।"

उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.07.2015 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर